न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— नेहा गिरि, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :— 74/2018 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00118)

1. राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना निहालगंज—————— प्रार्थी।

बनाम

1. राजकुमार अग्रवाल पुत्र ऐनकचन्द जाति वैश्य सिविल लाईन गडरपुरा थाना निहालगंज शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ——————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : —

1. प्रार्थी की ओर से :— श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय दिनांक 18.1..2019

निर्णय

थानाधिकारी थाना निहालगंज ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि 16.5.2005 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर को मुखबिर खास ने इत्तला दी कि निहालगंज चौकी इलाके में दुकान सिघंल हार्डवेयर पर पेट्रोमेक्स गैस सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भरकर बेचने का कार्य होता है। इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कार्यालय स्टाफ व सहायक उप निरीक्षक खुशीराम कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर व गुलाव सिहं सहायक उप निरीक्षक इंचार्ज निहालगंज चौकी के साथ अप्रार्थी की दुकान पर पहुँचे । उक्त दुकान पर एक व्यक्ति बैठा मिला एवं दुकान पर 6 पैट्रोमेक्स गैस के भरे हुये मिले । दुकान सिघंल हार्डवेयर पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसके अपना नाम श्री राजकुमार अग्रवाल पुत्र ऐनकचन्द्र जाति वैश्य निवासी सिविल लाई गडरपुरा धौलपुर होना बताया। गैस सिलेण्डरों के भरने व गैस सिलेण्डरों के रखने बावत लाईसैस के बारे में पूछा तो अपने पास कोई लाईसैन्स नहीं होना बताया इस प्रकार उक्त अप्रार्थी का अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखकर बेचने व छोटे गैस सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भरकर रखते हुये पाये जाने पर अप्रार्थी का यह कृत्य जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की तारीफ में आना पाये जाने पर मुताविक फर्द जब्ती मौके से 6 सिलेण्डर व तोलने के कांटे सहित जप्त कर कब्जा पुलिस में लिये गये व अप्रार्थी को फर्द गिरफतारी गिरफतार किया गया तथा मुकदमा नम्बर 114/2005 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में कायम कर तफतीश सुपुर्द भगवान सिहं उप निरीक्षक के की गई दौराने तफतीश बयानात गवाहन लिये गये घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया गया दौराने तफतीश जिला रसद अधिकारी कार्यालय से आर पी पी एल का लाईसैन्स बावत पूछा गया तो कोई लाईसैन्स नहीं होना बताया गया शिवेन गैस ऐजेन्सी से तफतीश की गई वाणिज्यिक कर

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

विभाग से सोप के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की इस प्रकार सम्पूर्ण हासला तफतीश बयानात गवाहन निरीक्षक घटनास्थल फर्द जप्ती नक्शा मौका फर्द गिरफतारी मुलजिमान फर्द इत्तला मुलजिम व प्राप्त शुदा रिपोर्टो से अप्रार्थी विरूद्ध एल पी जी गैस वितरण एवं विनियम आदेश 2000 की धारा 3(1)(ई)6–7 का उल्लघंन करना पाया गया तो धारा 3/7 ई सी एक्ट में दण्डनीय है धारा 3/7 ई सी एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने चार्जशीट नम्बर 98/05 दिनांक 31.7.2005 किता की जाकर चालान माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट धौलपुर में पेश किया गया न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2016 को निर्णय कर अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है एवं उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार निस्तारण के आदेश दिये हैं। अतः प्रकरण में जप्तशुदा माल का निस्तारण कराये जाने के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया कि उसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थी पर जारी नोटिस की तामील हो चुकी है। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अन्तिम रिपोर्ट संख्या 98 दिनांक 31.7.2005, प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 114 दिनांक 16.5.2005, नक्शा मौका व बरामगीस्थल की फोटो प्रति, नक्शा मौका घटना स्थल, फर्द गिरफतारी की फोटो प्रति, फर्द जब्ती दिनांक 16.5.2005 की फोटो प्रति, माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.11.2016 की फोटो प्रति, पेश की।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि कि 16.5.2005 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर दुकान सिघंल हार्डवेयर पर पेट्रोमेक्स गैस सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भरकर बेचने का कार्य होने की सूचना पर मौके पर पहुँचे । उक्त दुकान पर अप्रार्थी बैठा मिला एवं दुकान पर 6 पैट्रोमेक्स गैस के भरे हुये मिले । गैस सिलेण्डरों के भरने व गैस सिलेण्डरों के रखने बावत लाईसैस के बारे में अप्रार्थी से पूछा गया तो अप्रार्थी ने अपने पास पास कोई लाईसैन्स नहीं होना बताया इस प्रकार अप्रार्थी का अवैध रूप से गैस सिलेण्डर बेचने व छोटे गैस सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भरकर बेचते हुये पाये जाने पर अप्रार्थी का यह कृत्य जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की तारीफ में आता है। अप्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 114/2005 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया गया । जिला रसद अधिकारी कार्यालय से आर पी पी एल का लाईसैन्स बावत पूछा गया तो कोई लाईसैन्स नहीं होना बताया गया शिवेन गैस ऐजेन्सी से तफतीश की गई वाणिज्यिक कर विभाग से सोप के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की । अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियम आदेश 2000 की धारा 3(1)(ई)6–7 का उल्लघंन किया जाना पाया गया जो धारा 3/7 ई सी एक्ट में दण्डनीय है । माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट धौलपुर ने अपने निर्णय

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

दिनांक 16.11.2016 के द्वारा अप्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है एवं उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार निस्तारण के आदेश दिये हैं। अतः प्रकरण में जप्तशुदा माल का निस्तारण कराये जाने के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग का कार्य करता है तथा छोटे सिलेण्डरों की ब्रिकी भी करता हे। जिसका अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स नहीं है। अप्रार्थी यह कार्य अवैध रूप से करता है। अप्रार्थी की दुकान पर 6 सिलेण्डर पैट्रोमेक्स गैस भरे एवं सिलेण्डर तौलने का कांटा मिले। अप्रार्थी बिना लाईसैंन्स के अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखने एवं बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने का कृत्य करता है । जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान से मिले हैं तथा वक्त निरीक्षण अप्रार्थी दुकान पर उपस्थित था । माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट ने अपने निर्णय दिनाक 16.11.2016 में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियामानुसार निस्तारण के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा 6 सिलेण्डर पैट्रोमेक्स गैस से भरे हुये तथा सिलेण्डर व गैस तोलने का कांटा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/19

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर, धौलपुर

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर